न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 66/23 (वाद पत्र)

GCMS No. : 2023/178

अनवान

.. श्री जग्गा पिता नान जी डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।

..........वादी

बनाम

1. श्री वेला पिता नान जी डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
2. श्री कमललाल पिता रोडा डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
3. श्री नारूलाल पिता रोडा डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
4. श्री रूपा पिता भेरा जी डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
5. श्री देवा पिता भेरा जी डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
6. श्री वगता पिता भेरा जी डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
7. श्री गोविन्दा पिता भेरा जी डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
8. श्री शाखा प्रबन्धक महोदय SBBJ भीण्डर नया नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा भीण्डर।
9. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब भीण्डर एवं उप पंजीयक महोदय भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री श्रवण कुमार पोखरना, अधिवक्ता वादी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांकः–07.07.2025

1. वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिशिष्ट (क) की मौजा कुथवास की आराजी न. 2525 रकबा 10–09 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम पर 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम पर 1/3 हिस्सा दर्ज है। परिशिष्ट (ख) मौजा कुथवास की आराजी न. 2526 रकबा 12–18 बिस्वा भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेक[illegible]तवादी संख्या 4 से 7 के नाम एवं उनकी माता नाथी बाई के नाम प[illegible] की आराजी न. 2526/18 शा.न. 2527 रकबा 9 [illegible] रेकर्ड [illegible] के नाम 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] नाम पर 1/3 हिस्सा अंकित है उक्त भूमि आवंटन से नान जी के नाम पर दर्ज हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:27 IST
Reason: SelfAttested

2 यह कि परिशिष्ट क, ख मे वर्णित आराजीयात न 2525 2526 किता 2 कुल रकबा
बिस्वा भूमि को खातेदार रामा नदा पिता खेता मीणा निवासी माण्डकला से
प्रतिवादी के मौरूस भेरा जी एव नान जी पिता मोटा डागी ने 1/2 1/2 हि
आराजीयात गत सेटलमेंट के समय सन 1956 मे आराजी क्रय कर कब्जा प्राप्त कि
से कब्जा काश्त भेरा जी नान जी पिता मोटा डागी का कब्जा काश्त चला आ रहा
लेकिन वक्त पजीयन आराजी भेरा जी के नाम पर ही पजीयन हुई क्योकि भेरा जी
मुखिया कर्ता खानदान होने से एव दोनो भाईयो मे प्रेम विश्वास होने से पजियन भेरा
नाम पर होने से अंकित हुई। परन्तु मौके पर भेरा एव नान जी 1/2, 1/2 हिस्सा
काबिज हुये। लेकिन राजस्व रेकर्ड मे भेरा जी के नाम पर अंकित हुई। यह कि वा
आराजीयात परिशिष्ट क, ख मे वर्णित आराजी बाबत् भेरा व नान जी मध्य विवाद हो
सन् 1977 मे पुलिस केश होने से एव बाद मे राजीनामा होने से भेरा जी ने परिशिष्ट
वर्णित आराजी न 2525 रकबा 10–09 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण अपने भाई नान जी के
दिनांक 15.07.1983 को रजिस्ट्री करा दी एवं उसी दिनांक 15.07.1983 को एक इकरार
जी ने अपने भाई नान जी के पक्ष मे कराने का इकरार लिखा और भूमि टुकडे हो
रोकने का नियम फ्रेगमेन्ट नियम लागु होने से कानूनी रूकावट होने से पंजीयन नहीं
का कथन करते हुये इकरार नान जी के पक्ष मे लिखा।

3. यह कि परिशिष्ट क एवं ख मे वर्णित आराजी को एक चक मीला कर दोनो भाई भेरा
नान जी काबीज हुये दोनो भाईयों ने अच्छी से अच्छी व बुरी भूमि का दोनो भाईयों के
जमीन की किस्म अनुसार आपसी सहमती से मौखिक विभाजन किया एवं भेरा जी एव
जी ने अपने अपने हिस्से कब्जे मे कुये खोदे रहने के मकानात बाडे बनाये एवं अपने
हिस्से की भूमि को आवादन किया यानी आराजी न. 2525 एवं 2526 मे भेरा जी न
दोनो का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग निरन्तर निराबाध रूप से अनवरत चला आ र
एव भेरा जी नान जी के निधन के बाद उनके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1
का कब्जा चला आ रहा है। नाथी बाई का निधन होने से उसके वारिस प्रतिवादी सं
से 7 है। परिशिष्ट ग मे वर्णित आराजी नान जी को राज्य सरकार से आवंटन हु
वर्तमान मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम पर दर्ज हुई एवं उक्त आराजी
की परिशिष्ठ एवं मे वर्णित आराजी से मीली हुई है।

4 यह कि परिशिष्ठ क, ख मे वर्णित आराजीयात मे वादी का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं
का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4
का 1/2 हिस्सा हक एवं परिशिष्ट ग मे वर्णित आराजी का 1/3 हिस्सा वादी का,
हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का एव 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का होकर इस
हिस्से अनुसार मौके पर [illegible] निराबाध रूप से काश्त
पैदावार लेते चले आ रहे है [illegible] का मिटस एण्ड बाउन्डस से ब
नहीं हुआ है। अतः वादी द्वारा परिशिष्ट [illegible] वर्णित आराजी का वाद पत्र की कलम सं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:27 IST
Reason: SelfAttested

मे वर्णित हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा एवं घोषणा कराने एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

5 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 9 राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण मे तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं होने से साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 वादी स्वयं श्री जग्गा पिता नान जी डांगी का प्रस्तुत किया तथा दस्तावेज के रूप में ग्राम कुथवास की नकल जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 225 प्रदर्श–1 है। खाता संख्या 456 प्रदर्श–2 है। नकल लिखापढी विक्रय की प्रदर्श–3A है। रहन मुक्त इकरार प्रदर्श–4A है। जमाबंदी सवत् 2021–24 खाता संख्या 306 जो प्रदर्श–5 है। जमाबंदी संवत् 2036–39 खाता संख्या 106 प्रदर्श–6 है। पांच रूपये के स्टाम्प पर इकरार प्रदर्श–7A है। विक्रय पत्र की फोटोप्रति प्रदर्श–8A है। साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 2 श्री वेला पिता नान जी डांगी एवं पीडब्ल्यू 3 कमललाल पिता रोडा डांगी के मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

6 प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वींकार किये जाने का निवेदन किया।

7 हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। हमने पाया कि अधिवक्ता वादी का कथन है कि मौजा कुंथवास की आराजी न. 2526, 2526 किता 2 रकबा 23 बिघा 7 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी के मौरूस भेरा जी व नानी जी पिता मोटा डांगी ने 1/2, 1/2 हिस्से से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। तब से कब्जा काश्त भैरा जी, नान जी पिता मोटा डांगी का कब्जा चला आ रहा था लेकिन वक्त पंजीयन आराजी भेरा जी के नाम पर ही पंजीयन हुई क्योंकि भेरा जी परिवार के मुखिया कर्ता खानदान होने से दोनो भाईयों में प्रेम विश्वास होने से पंजीयन भेरा जी के नाम पर होने से अंकित हुई। परन्तु मौके पर भेरा जी व नान जी 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार काबिज हुये। आगे चल कर विवाद होने से भेरा जी ने वाद वर्णित आराजी न. 2525 रकबा 10 बिघा 9 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण अपने भाई नानजी के पक्ष में दिनांक 15.07.1983 को रजिस्ट्री करा दी एवं उसी दिनांक 15.07.1983 को एक इकरार भेरा जी ने अपने भाई नान जी के पक्ष में 1/2 हिस्से [illegible] भूमि को नान जी के पक्ष में कराने का इकरार लिखा जिसके आधार पर वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा उक्त इकरार के आधार पर वाद पत्र की चरण संख्या 7 में अंकित हिस्से अनुसार घोषणा चाही है। वादी द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में नकल लिखापढी विक्रय की प्रदर्श–3A है। रहन मुक्त इकरार प्रदर्श–4A है। पांच रूपये के स्टाम्प पर इकरार प्रदर्श–7A प्रस्तुत किया जो केवल मात्र लिखा–पढी होकर अन–स्टाम्प/अन–रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:27 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
दस्तावेज है। अन-स्टाम्प/अन-रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार राजस्व न्याया... खातेदारी अधिकार देने का कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में निम्नांकित न्यायि... का सदभावना पूर्वक उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा जो इस प्रकार है-

RLW 2009(1) RJ Page No. 343
Board of revenue for Rajasthan
Jagdish vs Radhe Shyam & Ors.

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 183, 207 सि.प्र.सं. आदेश 7 नियम ... अपंजीकृत करार के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना–अभिनिर्धारित – अप... करार के आधार पर दायर वाद को सुनने की अधिकारिता राजस्व न्यायालयों को ... और न ही अपंजीकृत करार के आधार पर खातेदारी अधिकार अर्जित किये जा सकते ... इस आधार पर अधिकार एवं स्वत्व साबित करने के लिये अधिकारिता सिविल न्याया... निहित है. अतः विनिर्दिष्ट अनुपालनार्थ वाद लाना ही होगा।"

आर.आर.डी. 14.08.2019

ओमप्रकाश बनाम रुकमणी देवी एण्ड अन्य (92)

Revision No. 2809/Sriganganagar of 2016 decided on 20th May, 201...

" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 224 – विचारण न्यायालय ने घोषणा का ... डिक्री किया – अपीलीय न्यायालय ने उक्त आदेश की पुष्टि की – मण्डल में ... अपील– अभिनिर्धारित – विक्रय के इकरारनामे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा स... इसी प्रकार विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं – दोनो अधीनस्थ न्यायाल... उक्त विधिक प्रस्थापित सिद्धान्त के उल्लंघन में आदेश पारित किया है जो गैर कानूनी ... से अपास्त किया गया तथा वादी का वाद खारिज किया गया।"

आर.आर.डी. पेज नम्बर 173
छोगा बनाम रामनाथ

" जब इकरारनामा रजिस्ट्रीकृत नही था, तो इससे वाद भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त न... होगा।"

आर.आर.टी. 2016(1) पेज नम्बर 723
रामप्रताप बनाम कमला बाई

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 229 व 53 अपंजीकृत इकरारनामा पर आधारित – रा.अ.प्रा. ने वाद खारिज किया और राजस्व मण्डल ने निर्णय य... रखा–निर्णय में बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन किया – अपंजीकृत दस्तावेज के आधा... अधिकार या स्वत्व प्राप्त नहीं होते–निर्णीत, याचिक खारिज होने योग्य है।"

2018 (2) आर.आर.टी. 1062
[illegible] बनाम नारायण

"राजस्थान भू राजस्व [illegible] 135 – [illegible]न्तरकरण – भूमि का अन... जिसका मूल्य 100 /– रूपये से अधिक है रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा किया जा सकता...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:27 IST
Reason: SelfAttested

– निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष – नामान्तरकरण संख्या 1 विधि के प्रतिकूल खोला– निर्णित, समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप अस्वीकार किया।"

2014–15 (Supp.) आरआरटी पेज नम्बर 684
महेश बनाम अमरलाल

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 88, 89, 90, 92–ए व 188–घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा–वादी के पक्ष में तनकी नं. 1 पर समवर्ती निष्कर्ष–अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि हस्तान्तरित नहीं की जा सकती–दस्तावेज प्रदर्श 1ए व 5ए अनरजिस्टर्ड है–निचले न्यायालयों के त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष–वादीगण रेकॉर्डेड काश्तकार नहीं है और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पात्र नहीं है–प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार स्वीकार नहीं किये जा सकते–निर्णीत, अपील गुणागणहीन है व खारिज की।" (पैरा 7)

2019(1) आरआरटी पेज नम्बर 332
शंकर बनाम सुरेन्द्र सिंह रावत

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–धारा 100–स्थायी व आदेशात्मक निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद डिक्री किया तथा विवादित वाद सम्पत्ति पर निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश किया–अपीलाण्ट्स प्रतिवादीगण अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर स्वत्व का दावा कर रहे है जो कि अपीलाण्ट्स को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करता–प्रतिकूल कब्जा का अभिवाक् समवर्ती रूप से खारिज किया–असंगत बचाव अभिवाक्–निर्णीत, अपील गुणागुणहीन है व खारिज की। (पैरा 6,9,12)

Imp. Point :- Unregistered document do not confer any right or title.

2006(1) आरआरटी पेज नम्बर 190

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 88–प्रतिकूल अधिपत्य के आधार पर घोषणा हेतु वाद पेश किया–वाद डिक्री हुआ किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने उल्टा किया तथा वादी का अधिपत्य पाया तथा टिप्पणी की कि वादी को बिना विधिक प्रक्रिया के बेदखल न किया जावे–वादी ने अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये 'एच.डी' से भूमि क्रय की तथा अधिपत्य सिपुर्द किया–भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अन्तरित नहीं की गई तथा अधिपत्य विक्रय करार के आधार पर है तथा वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए और अधिपत्य भी प्रतिकूल अधिपत्य नहीं कहा जा सकता–तनकी नं. 2 पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष प्रतिकूल है–वादी का अधिपत्य अनुमति से है–निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय व डिक्री में अवैधता नहीं है व संपुष्टि की।" (पैरा 6,7,8)

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अनस्टाम्प/अनरजिस्टर्ड विक्रय इकरारनामे के आधार पर खातेदारी अधिकार नही किये जा सकते है। इस प्रकरण में वादी द्वारा अनस्टाम्प/अनरजिस्टर्ड इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:27 IST
Reason: SelfAttested

यादी द्वारा अपने वाद पत्र मे यह कथन भी कहा कि क्रय दिनाक से वादी के ... भूमि पर काबिज है। इस संबंध मे न्यायालय का मत है कि वादी द्वारा ऐसा ... साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का ... वादी द्वारा केवल मात्र मौखिक साक्ष्य करवाई गई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर ... साबित कराने मे असफल रहा। वैसे भी यदि वादी का कब्जा मान भी लिया जाये ... संबध मे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान ... इस सम्बन्ध में **माननीय न्यायालय की नजीर RRT 2016 (2) Page 791 – Rajasthan Te... Act, 1955-Sec. 88-Suit for declaration-RAA decreed the suit in the basis of ad... possession-Khatedari rights cannot be conferred on the basis of adverse posse... B.O.R. set aside the judgment & decree-Respondent No. 4 purchased the la... 05.04.1962 by registered sale deed & took possession-Held, BOR has not comm... any illegality in setting aside the judgment & decree.** से भी स्पष्ट है कि प्रतिकूल **के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। इसी प्रकार माननीय न्या... राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के प्रकरण संख्या अपील डिक्री/टीए/593/... /उदयपुर उनवान मृतक कूका के वारिसान जमनीबाई वगैरह बनाम राज्य, निर्णय दिनांक ... 05.2025 में भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार ... दिये जा सकते है।** .

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत के आधार पर स्पष्ट है ... अनस्टाम्प/अनरजिस्टर्ड दस्तावेज एवं प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार ... का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं ... जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ... अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शु... होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 66/23 (वाद)

GCMS NO: 2023/178

अनवान

1 श्री जग्गा पिता नान जी डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............वादी

बनाम

1 श्री वेला पिता नान जी डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2 श्री कमललाल पिता रोडा डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

3 श्री नारूलाल पिता रोडा डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

4 श्री रूपा पिता भेरा जी डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

5 श्री देवा पिता भेरा जी डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

6 श्री वगता पिता भेरा जी डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

7 श्री गोविन्दा पिता भेरा जी डांगी निवासी पदमाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

8 श्री शाखा प्रबन्धक महोदय SBBJ भीण्डर नया नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा भीण्डर।

9 श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब भीण्डर एवं उप पंजीयक महोदय भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थित–1.

1 श्री श्रवण कुमार पोखरना, अधिवक्ता वादी।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>मुकदमा न. : 66/23 (वाद)</u>

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि:– परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.07.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:27 IST
Reason: SelfAttested